बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :– 03 / 02–भू0अ0नि0–राज्य यो0(आरोप)सुपौल–32 / 2023..6750.. पटना, दिनांक :–04/09/2023

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांक 610 दिनांक 10.04.2023 द्वारा सुश्री नेहा, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN00999) के विरूद्ध यह प्रतिवेदित किया गया है बार–बार निदेश दिए जाने के बावजूद इनके द्वारा खानापुरी कार्य पूर्ण नहीं किया गया है एवं कार्य में लापरवाही बरती जा रही है। उक्त के आलोक में अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है।

प्राप्त अनुशंसा के आलोक में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक 4317 दिनांक 22.05.2023 द्वारा आरोपित से 03 दिनों के अन्दर इस शर्त्त के साथ स्पष्टीकरण की मांग की गयी है कि निर्धारित अवधि तक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इनका संविदा नियोजन समाप्त कर दिया जाएगा। इतने स्पष्ट निदेश के बावजूद भी इनके द्वारा लगभग ढ़ाई माह तक अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है। नैसर्गिक न्याय के तहत इन्हें पुनः एक अवसर प्रदान करते हुए इस कार्यालय के पत्रांक 5153 दिनांक 11.07.2023 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करने का मौका दिया गया है। इतने स्पष्ट निदेश एवं अवसर प्रदान करने के उपरांत भी अपने उपर लगे आरोपों के विरूद्ध स्पष्टीकरण का उत्तर नहीं दिया जाना वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना का द्योतक है।

प्राप्त प्रतिवेदन एवं संचिका में रक्षित अभिलेखों की समीक्षा की गयी है। समीक्षोपरांत पाया गया कि इनके द्वारा कार्यो में लापरवाही बरतने के कारण सर्वे जैसे महत्वूपर्ण कार्य में विलंब हुआ है। साथ ही इन्हे नैसर्गिक न्याय यथा लगाए गए आरोप के विरूद्ध दो बार अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया है परन्तु इनके द्वारा इसका लाभ नहीं उठाया जाना यह स्पष्ट करता है कि ये अपना पक्ष रखना नहीं चाहती हैं, जो अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं आदेशोल्लंघन का परिचायक है। बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा लगाए गए आरोप इनके कृत्य से प्रमाणित होता है।

विशेष सर्वेक्षण कार्य एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसे निर्धारित समय सीमा में ही पूर्ण किया जाना है। ऐसे संविदा कर्मियों के रहते निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है। साथ ही इनके कृत्य का प्रभाव अन्य संविदा कर्मियों पर भी पड़ सकता है, इसके दृष्टिगत इनका संविदा नियोजन समाप्त किया जाना ही उचित होगा।

अतः **''बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम – 8(4)''** में वर्णित प्रावधान के तहत सुश्री नेहा, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN00999) का संविदा अनुबंध रद्द किया जाता है।

3/8/23

(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / 02–भू0अ0नि0–राज्य यो0(आरोप)सुपौल–32 / 2023..6750.. **पटना, दिनांक** :–04/09/2023

प्रतिलिपि :– सुश्री नेहा, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN00999), बंदोबस्त कार्यालय, सुपौल को सूचनार्थ प्रेषित।

3/8/23

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

E08038

ज्ञापांक :– 03 / 02–भू0अ0नि0–राज्य यो0(आरोप)सुपौल–32 / 2023.6258 **पटना, दिनांक** :– 04/09/2023

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / 02–भू0अ0नि0–राज्य यो0(आरोप)सुपौल–32 / 2023.6250 **पटना, दिनांक** :–04/09/2023

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं इसकी स्कैन कॉपी निदेशालय अन्तर्गत R2R में संधारित सुश्री नेहा की व्यक्तिगत संचिका में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप